विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 2 अप्रैल, 2012

संख्या वि0स0–लैज–गवरनमैंट बिल/1–9/2012.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक–4) जो आज दिनांक 2 अप्रैल, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ ई–राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

————————

2012 का विधेयक संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :––

1. **संक्षिप्त नाम.**–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

2. **धारा 4–क का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 की धारा 4–क की उपधारा (1) में, ''राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा'' शब्दों और चिन्ह के स्थान पर ''आबकारी एवं कराधान आयुक्त'' शब्द रखे जाएंगे।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 की धारा 4–क, राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, मोटरयान के प्रभारी व्यक्ति या चालक से धारा 3–ख के अधीन संदेय अतिरिक्त माल कर का संग्रहण करने का उपबन्ध करती है ।

हर बार नए व्यौहारी परिलक्षित किए जाते हैं और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3–ख के अधीन संदेय कर का संग्रहण करने हेतु नए व्यौहारियों को प्राधिकृत करने के लिए मामला राज्य सरकार को भेजना पड़ता है। क्योंकि यह अविरत प्रक्रिया है तथा विद्यमान उपबन्धों के अधीन ऐसे व्यौहारियों को, राज्य सरकार से अतिरिक्त माल कर के संग्रहण के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करवाने के लिए विभाग को अधिक समय लगता है। इसलिए यह आवश्यक समझा गया है कि अधिनियम के अधीन नए व्यौहारियों को प्राधिकृत करने की शक्ति आबकारी एवं कराधान आयुक्त को प्रत्यायोजित की जाए । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख ....., 2012

———————

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे और कोई अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा।

———————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 आबकारी एवं कराधान आयुक्त को, किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, मोटरयान के प्रभारी व्यक्ति या चालक से धारा 3–ख के अधीन संदेय अतिरिक्त माल कर का संग्रहण करने को, प्राधिकृत करने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का यह प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

————————

AUTHORITATIOVE ENGLISH TEXT

Bill No. 4 of 2012

THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2012

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of 1955).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Act, 2012.

2. Amendment of section 4-A.—In section 4-A of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955, in sub-section (1), for the words and sign "State Government, by notification", the words "Excise and Taxation Commissioner" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 4-A of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 provides for collection of additional goods tax payable under section 3-B by a person duly authorized by the State Government, by notification, from the person-in-charge or driver of the motor vehicle, as the case may be. Every time new dealers are identified and the case for authorization of new dealers has to be sent to the State Government for authorising them to collect the tax payable under section 3-B of the Act *ibid*. Since this is a ongoing process and under the existing provision, it takes much time of the department to got such dealers authorized from the State Government for the purpose of collection of additional goods tax, therefore, it has been considered necessary that the power to authorize new dealers under the Act *ibid* may be delegated on the Excise and Taxation Commissioner. This has necessitated amendment in the aforesaid Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

Shimla :

The ....., 2012.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the Excise and Taxation Commissioner to authorise a person to collect additional goods tax payable under section 3-B from the person-in-charge or driver of the motor vehicle, as the case may be. This delegation is essential and normal in character.